संख्या- 14/2019/281/कनिप्र/26-3-2019-14(34)/2014

प्रेषक,

सतीश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक : 06 मार्च,2019
समाज कल्याण विभाग

विषय: निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति वर्ष 2018-19

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय के पत्रांक 46/स0क0/एस0सी0पी0/2018-19 दिनांक 27-02-2019 के क्रम में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 मे निःशुल्क बोरिंग योजनान्तर्गत निर्धारित अवशेष की पूर्ति हेतु द्वितीय किस्त के रूप में रू0 4,01,60,000/- (रू0 चार करोड़ एक लाख साठ हजार मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि शासनादेश सं0- 01/2019/25/ क0नि0प्र0/26-3-19-(163)/91 दिनांक 10 जनवरी,2019 द्वारा चयनित कार्यदायी संस्थाओं को उक्त धनराशि आहरित कर लक्ष्यों की पूर्ति हेतु तत्काल उपलब्ध कराई जायेगी। प्रश्नगत योजना में निर्धारित भौतिक लक्ष्यो एवं आबंटित धनराशि समर्पित न हो तथा आगामी लोक सभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) को अपने स्तर से निर्देशित कर दे कि वह योजनान्तर्गत आबंटित धनराशि कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करा दी जाये।

3- यह भी अवगत करा दिया जाय कि प्रश्नगत धनराशि का प्रदेशन मात्र ही किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता जिसे करने हेतु बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत निर्धारित नियमो का पालन किया जायेगा।

4- उपरोक्त धनराशि के उपभोग प्रमाण पत्र नियमानुसार शासन तथा महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद को यथा समय उपलब्ध कराये जायेगें। इस अनुदान के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उपभोग पर वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16-ए के नियम लागू होगें।

5- इस स्वीकृति पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 083-समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के लेखाशीर्षक- "2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य

पिछड़े वर्गो का कल्याण,-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण,789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0108- परिसम्पत्ति निर्माण की अन्य योजनाओं की लागत में केन्द्रीय सहायता से अंशदान (के.100/रा.0-के.)-20-सहायक अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)" के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30 मार्च,2018 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

सतीश कुमार
अनु सचिव।

पृ0संख्या- 14/2019/281/(1)/क.नि.प्र./26-3-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0इलाहाबाद।
2- कोषाधिकारी, जवाहर भवन,लखनऊ।
3- वित्त नियन्त्रक, निदेशालय समाज कल्याण विभाग।
4- वित्त (वित्त नियन्त्रण)अनुभाग-4।
5- समस्त संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)।
6- संबंधित कार्यदायी संस्था।
7- एन0आई0सी0 की प्रति ।
8- बजट प्रकोष्ठ,समाज कल्याण,उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

सतीश कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in